न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 28/2017/अपील

1 सूर्यनारायण यादव पुत्र श्री श्यामाराम जाति यादव
2 श्रीमती सजना देवी पत्नी श्री कैलाश चन्द जाति स्वामी
समस्त निवासीगण लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

अपीलान्ट्स

बनाम

तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 2026 दिनांक 17.08.2016 द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

वकील अपीलांट श्री अमरसिंह सुण्डा

निर्णय **दिनांकः—30.01.2019**

संक्षेप में अपील में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में भूमि खसरा नम्बर 1343/2 रकबा 0.40 है0 किस्म बंजड़ प्रथम सम्पूर्ण का जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 10.08.2016 को राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लिसाड़िया हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को आवंटन होने पर तहसीलदार, श्रीमाधोपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 2026 भरा गया। उक्त नामान्तकरण राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लिसाड़िया के लिए भरा गया है परन्तु उक्त भूमि स्वास्थ्य केन्द्र के लिए उपयुक्त नहीं है, ग्राम लिसाड़िया से काफी दूर है तथा ग्राम उक्त नामान्तरण की भूमि के मध्य नहीं होने के कारण कभी भी बरसात में बहाव में आ सकती है, जिससे ग्राम के पीड़ित व्यक्ति स्वास्थ्य केन्द्र में नही पहुंच पायेगे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण भरने से पूर्व नामान्तकरण की भूमि का किसी भी प्रकार से सत्यापन नहीं किया गया एवं उक्त भूमि स्वास्थ्य केन्द्र के अनुसार है या नहीं तथा पर्याप्त भूमि भी है या नहीं, बाबत किसी प्रकार की जांच नहीं की गई। ग्राम लिसाड़िया की भूमि खसरा नम्बर 1343/2 रकबा 0.40 है0 प्रथम किस्म बंजड़ है, बंजड भूमि का न तो आवंटन किया जा सकता है तथा न ही उसका किसी संस्था विभाग आदि के नाम नामान्तकरण भरा जा सकता है। इस कारण चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 2026 दिनांक 17.08.2016 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अपीलांट की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पालना में तस्दीक किया गया है। अपील मेमों में अंकित तथ्यों के मुताबिक उक्त भूमि स्वास्थ्य केन्द्र के लिए उपयुक्त नहीं होने के सम्बंध में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कथन न्यायोचित प्रतीत नहीं होते है। इस सम्बंध में सम्बंधित विभाग द्वारा अवगत करवाये जाने पर विचार किया जा सकता है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लिसाड़िया के नाम से तस्दीक नामान्तकरण के विरूद्व पेश की गई है। उक्त नामान्तकरण श्रीमान् जिला कलक्टर, सीकर के द्वारा जारी आवंटन आदेश की पालना में तस्दीक किया गया है। जिसको न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील के माध्यम से चुनौती दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट सारहीन व आधार होने से खारिज की जाती है। अपीलांट सक्षम न्यायालय में अपील/वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/1/19

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official